संख्या-010/वीजीएल/012
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 05.03.2010

कार्यालय आदेश सं0 12/03/10

विषय: सतर्कता कार्य की समीक्षा के लिए मासिक/तिमाही अवसंचरित बैठकों के संबंध में ।

सतर्कता मैनुअल भाग-1 (छठा संस्करण) के पैरा 2.16.2 के प्रावधान के अनुसार संगठन में सतर्कता कार्य की समीक्षा मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा अथवा संगठन के मुख्य कार्यकारी द्वारा की जानी होती है । आयोग प्रत्येक संगठन/विभाग में सतर्कता कार्य की अवसंरचित नियमित तथा निरंतर समीक्षा की आवश्यकता पर बल देता रहा है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ हुई वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान, यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ संगठन यह समीक्षा कर रहे हैं परंतु यह संस्थागत नहीं है तथा एक समान रूप से नहीं की जा रही है ।

2. अत:, आयोग सलाह देता है कि सभी संगठन/विभाग को संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य तथा मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सचिव के मध्य अवसंरचित तरीके से मासिक अथवा तिमाही आधार पर सतर्कता कार्य/गतिविधियों की समीक्षा के लिए नियमित बैठकों को आयोजित करने की आवश्यकता है । आयोजित की गई ऐसी समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त, कार्रवाई करने योग्य मुद्दों के साथ बनाया जाना चाहिए । सभी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोजित की गई ऐसी मासिक/तिमाही समीक्षा की स्थिति की रिपोर्ट आयोग को अपनी मासिक रिपोर्ट में देंगे ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

1. मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बीमा कंपनियों के सभी अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक
3. मंत्रालयों/विभागों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बीमा कंपनियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी